

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्र.798 / 2014

संस्थित दिनांक-03.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म0प्र0)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

शशांक पिता रामप्रसाद दुबे

निवासी-वार्ड नं0 8 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट

जिला बालाघाट

— — — — — आरोपी

— — — — —

निर्णय

(आज दिनांक 03 / 09 / 2014 को घोषित)

निष्कर्ष

अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा-279, 337 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को प्रमाणित अपराध के आरोपों में दोषसिद्धि कर भा.दं.सं. की धारा-279, 337 में कमशः 1,000 / -रु., 500 / -रु. कुल 1,500 / -रु. (एक हजार पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त को 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा वाहन क्रमांक-के0ए0 03 / एम0एन0 1405 वैगानार कार हिफाजत नामा में विवेक पिता किसनलाल साहू उम्र 24 साल, निवासी वार्ड नं. 15 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट को दिया गया है। जप्तशुदा वाहन रजिस्टर्ड स्वामी को प्रदान किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट